

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
क्रमांक/डीईएस/यो.भ./के.टे./2016-17/

दिनांक 3/2/17


A-06/14
// ई-प्रोक्योरमेंट बिड //

योजना भवन की सफाई कार्य करवाये जाने हेतु पंजीकृत, आईएसओ प्रमाणित एवं अनुभवी सेवाप्रदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत WWW.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन-लाईन निविदा के माध्यम से निम्न विवरणानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कार्य का विवरण	सम्पूर्ण योजना भवन का सफाई कार्य, एक वर्ष की अवधि के लिए (सफाई कार्य का विस्तृत विवरण बिड की शर्तों एवं 'परिशिष्ट ए' में अंकित है)।
2.	बिड की अनुमानित लागत	वार्षिक 16.50 लाख रुपये
3.	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	33000/-रुपये
4.	बिड प्रपत्र शुल्क	400/- रुपये
5.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क	500/- प्रबंध निदेशक, RISL जयपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट देय होगा।
6.	बिड आमंत्रितकर्ता	निदेशक, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर
7.	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	23.02.2017 को दोपहर 2.00 बजे।
8.	बिड प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, बिड सिक्योरिटी राशि के बैंकर्स चैक/ डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	23.02.2017 को प्रातः 1.00 बजे तक।
9.	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	23.02.2017 को सायं 3.00 बजे।

नोट:-

1. बिड प्रपत्र सूचना WWW.eproc.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट व राज्य लोक उपापन पोर्टल WWW.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बिड प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकित पोर्टल के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है एवं इसी वेबसाइट पर यह बिड ऑन-लाईन प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के बैंकर्स चैक या डिमांड ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक विनिर्दिष्ट रूपविधीन में बैंक गारंटी विधि मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए।
4. यदि किसी कारणवश तकनीकी बिड खोलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो तकनीकी बिड उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन की सफाई व्यवस्था संबंधी तकनीकी बिड एवं शर्तें

1. ठेकेदार/बोलीदाता/फर्म किसी भी सक्षम प्राधिकारी (राज्य/केन्द्र) से अधिकृत श्रम विभाग से पंजीकृत होनी चाहिए। पंजीकरण के अभाव में बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा अपने सफाईकर्मियों को राज्य सरकार के श्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक.एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/6633 दिनांक 17.03.2016 द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
3. ठेकेदारों/बोलीदाताओं को जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, बहुमंजिले "ए" क्लास (कम से कम 1,50,000 Sq. feet covered area) भवनों में सफाई कार्य करने का तीन वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया हो, बिड प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदारों/बोलीदाताओं का पिछले तीन साल का रख-रखाव एवं हाऊसकीपिंग में 15.00 लाख रूपये वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए।
5. ठेकेदारों/बोलीदाताओं को बिड के साथ ई.पी.एफ. ई.एस.आई. कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाईसेंस, सर्विस टैक्स पंजीकरण, कम्पनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से लगाने होंगे।
6. बिड खोलने के क्रम में सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जावेगी तथा बिड दस्तावेजों की जाँच उपरान्त सक्षम पाये गये बिडर्स की वित्तीय बिड खोली जावेगी। जिसकी सूचना पृथक रूप से प्रदान की जावेगी। विभाग को किसी भी बिड को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. ठेकेदारों/बोलीदाताओं को बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रूपये 33000/- ठेके/बिड की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर के नाम से बिड प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी।
8. बिना बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) के जमा कराई गई बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
9. ई-प्रोक्योमेंट प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए प्रोसेसिंग-शुल्क 500/-रूपये का बैंकर्स चैक/ डिमाण्ड -ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर के नाम जमा करवानी होगी।
10. ठेकेदार/बोलीदाता सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को "सबलेट" हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। ऐसा पाए जाने पर ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।



12. सफल बोलीदाता को 1000/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जो ठेके/अनुबन्ध की अवधि में वैध होगा।
13. सफल ठेकेदार/ बोलीदाता को ठेके/बोली मूल्य की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में इस कार्यालय में जमा करानी होगी। (2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति 5 प्रतिशत राशि में समायोजित किया जावेगा। शेष 3 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के साथ बैंकर चैक/डी.डी/एन.एस.सी/एफ.डी.आर.किसी भी रूप में जमा करानी होगी)
14. सफाई की व्यवस्था के लिए केयर टेकर/अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों का ठेकेदार को पालन करना होगा तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार/बोलीदाता को कार्य करना होगा।
15. ठेके/बोली अनुबन्ध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावे तो उस विवाद पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार/ बोलीदाता को मान्य होगा।
16. ठेका/बोली की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियों किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थान पर नहीं।
18. सफाई कार्य हेतु ठेका/अनुबन्ध प्रारम्भ में तीन माह के लिए दिया जावेगा, सफाई कार्य सन्तोषप्रद होने पर ठेके/अनुबन्ध की अवधि नो माह के लिए और बढ़ायी जा सकेगी।
19. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर राजस्थान, के पास सुरक्षित होगा।
20. बिड के साथ आयकर प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।
21. सफाई कार्यों के विवरण में दिये गये सफाई कार्यों को करते समय दुर्घटनावश यदि किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी भी रूप में अपंग अथवा चोटग्रस्त हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार/ बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
22. किसी भी दिवस में योजना भवन में सफाई व्यवस्था पर्याप्त स्तर की नहीं पायी जाने पर भवन में स्थित विभागों से प्राप्त शिकायतों की दशा में उस माह के बिल में से बिल राशि की 25 प्रतिशत तक राशि दण्ड स्वरूप काट ली जावेगी।
23. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को सफाईकर्मियों पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/ बोलीदाता का होगा। प्रत्येक माह के बिल



के साथ पिछले माह के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा /पी.एफ.की जमा करवाई गई राशि का चालान प्रस्तुत करना होगा ।

24. ठेके/बोली की अवधि में यदि सफाईकर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है और बोलीदाता इस अवधि में योजना भवन के सफाई कार्यों को कराने में असमर्थ रहता है तो उस अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा एवं विभाग द्वारा अपने स्तर पर सफाई कराने में जो राशि व्यय की जावेगी वह राशि ठेकेदार/ बोलीदाता को देय अन्य मासिक बिलों की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (PERFORMANCE SECURITY) में से समायोजित कर ली जावेगी ।
25. बोलीदाता को बोली और करार की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप, बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।
26. ठेकेदार/ बोलीदाता को सफाई व्यवस्था संबंधी कार्यों का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर योजना भवन स्थित विभागों के समन्वयक अधिकारियों एवं केयरटेकर तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन प्रमाणित करने के पश्चात् किया जायेगा।
27. नियमानुसार आयकर एवं अन्य कर जो देय हों, की कटौती की जायेगी।



सफाई कार्यों का पूर्ण विवरण

28. योजना भवन के समस्त सफाई कार्यों हेतु ठेकेदार/ बोलीदाता द्वारा कम से कम 25(पच्चीस) व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य पर रखना आवश्यक होगा। ठेकेदार स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि सफाई कार्य के निरीक्षण एवं विभाग से कोर्डिनेशन हेतु प्रतिदिन प्रातः 8.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। निरीक्षण करने पर यदि सफाई कर्मियों की संख्या कम पाई जाती है तो प्रतिमाह देय राशि में से कम संख्या में पाये गये सफाई कर्मियों की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।
29. ठेकेदार/ बोलीदाता को सफाई संबंधी निम्न सामग्रियों की व्यवस्था करनी होगी।

क्रम संख्या	सामग्री का विवरण
1.	फिनाईल, मिट्टी का तेल, फिनिट स्प्रे, सुगन्धित स्प्रे।
2.	टॉयलेट साबुन
3.	फिनाईल की गोलियाँ सभी टॉयलेट्स में आवश्यकतानुसार
4.	वाशिंग पाऊडर
5.	पोंचे, झाड़ू
6.	सफाई कार्य हेतु ग्लॉब्स
7.	एसिड
8.	ओडोनिल
9.	डस्टर एवं ब्रुश
10.	अन्य सामग्री जो आवश्यकतानुसार सफाई कार्य में उपयोग आती हो
11.	समय-समय पर मशीन द्वारा फर्श की सफाई की जावेगी।

30. सफाई यंत्र जैसे वेक्यूम क्लीनर, ड्राई एवं वेट वेक्यूम मेट, एल्यूमिनियम एवं लकड़ी की सीढ़ी, झाड़ू/पोचा लगाने की मशीन, ग्लास क्लिनिंग किट, जेट प्रेशर मशीन, टेलीस्कोपिक पोल, रिंगर ट्रौली एवं अन्य सफाई यंत्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार/बोलीदाता को करनी होगी। वेक्यूम क्लीनर द्वारा कमरों में कारपेट/सोफा सेट/पर्दे आदि की सफाई प्रत्येक सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार की सफाई सामग्री एवं यंत्र देय नहीं होंगे।
31. ठेकेदार/ बोलीदाता को सम्पूर्ण योजना भवन एवं परिसर की पूर्ण सफाई करनी होगी। सम्पूर्ण योजना भवन एवं परिसर के अन्तर्गत वर्तमान में पूर्ण रूप से निर्मित कमरें, खिडकियाँ, दरवाजे, लॉबी, गैलरी, सीढ़ियाँ, पोर्च, टॉयलेट्स, पार्किंग स्थान, सड़के इत्यादि सम्मिलित माने जावेंगे। विशेष आयोजनों/अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष सफाई का कार्य भी करना होगा। विशेष सफाई कार्य सामान्य कार्यालय समय/दिवस के अलावा भी करवाया जा सकेगा। जिसकी सूचना यथासमय पूर्व में केयरटेकर/अधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार/ बोलीदाता को दी जावेगी। इस प्रकार की सफाई व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ बोलीदाता की होगी तथा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।



32. योजना भवन में स्थित सभी ब्लॉकों के भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल के समस्त कमरों, गैलरी एवं पोर्च इत्यादि में सुबह 9:00 बजे एवं दोपहर 1:30 पीएम से 2:00 पीएम तक प्रतिदिन, दिन में दो बार पोंछा लगाना होगा। कमरों की सफाई, पोंछा प्रातः 9:00 बजे तक पूर्ण करनी होगी। सफाई कार्यों में फिनाईल, साबुन/सर्फ का घोल उपयोग में लाना होगा। भूमिगत कार पार्किंग एवं स्कूटर एवं साईकिल स्टैण्ड के बाहर के चारों तरफ की रोड में सफाई कार्य करना होगा।
33. भवन में स्थित समस्त तलों पर थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें मिट्टी, राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा। भवन में मच्छरों इत्यादि के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग सायं 6.00 से 7.00 बजे तक प्रतिदिन करना होगा तथा चूहों की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
34. योजना भवन के समस्त दरवाजों कमरों में लगे पार्टीशन एवं खिडकियों के शीशों की प्रत्येक माह में दो बार सफाई करनी होगी।
35. योजना भवन में स्थित समस्त तलों के शौचालय एवं अधिकारीगणों के कमरों में स्थित शौचालयों की सफाई का कार्य, धुलाई का कार्य प्रतिदिन दिन में दो बार करना होगा। शौचालयों की धुलाई साबुन के पानी एवं फिनाईल के उपयोग से करना होगा। शौचालयों में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय-समय पर तेजाब से सफाई तथा सफाई संबंधी पाउडर का प्रयोग भी करना होगा। समस्त शौचालयों में यूरिनल ट्यूब्स हमेशा लगानी होगी।
36. भवन छत की सफाई का कार्य माह में एक बार करना होगा।
37. भवन के बिजली पैनल रूम में कचरा इत्यादि इकट्ठा करके नहीं रखा जावेगा। इनकी स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा।
38. योजना भवन में सफाई कार्य करने के बाद भी प्रत्येक तल पर सफाई कार्य करने वाले व्यक्तियों को वर्दी सहित, अनिवार्य रूप से प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध कराना होगा, जो केयर टेकर/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
39. योजना भवन में गटर लाईन में सप्ताह में एक बार लाईन में पानी चलाकर साफ करना होगा।
40. योजना भवन के समस्त तलों पर सफाई करने के पश्चात् कूड़ा-कचरों को भवन परिसर के बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त उचित स्थान के अलावा दूसरी जगह कूड़ा-कचरों को डालने की अनुमति नहीं होगी।
41. केयर टेकर/अधिकृत अधिकारी योजना भवन जयपुर द्वारा बताये गये समस्त कार्यों को पूरा करना होगा एवं सफाई करने वाले व्यक्ति उपलब्ध कराने होंगे।
42. बोलीदाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा, जहाँ उससे व्यक्तिगत, डाक द्वारा सम्पर्क हो सकें। यदि कार्यस्थल पर समुचित समय में वह उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय में उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सकें।



43. योजना भवन के कमरों, बरामदों एवं परिसर में से पुराना रिकॉर्ड आदि हटाना या ऊपर-नीचे निर्दिष्ट स्थानों पर लाने ले जाने का कार्य भी केयरटेकर/संबन्धित अधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा। इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
44. ठेकेदार/ बोलीदाता को सफाई संबंधी कार्यों का प्रत्येक माह की समाप्ति पर इस हेतु गठित कमेटी के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर अनुबन्ध राशि का मासिक भुगतान किया जावेगा। बिल वॉडी पर ई.एस.आई., पी.एफ. कटौती, सफाई कर्मियों की संख्या एवं उपयोग में लाई गई सामग्री सम्बन्धी प्रमाण पत्र अंकित करना होगा।
45. ठेकेदार/ बोलीदाता द्वारा सफाई कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं सुपरवाइजर के फोटो युक्त परिचय पत्र-कम-प्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे एवं उपरोक्त कार्ड के साथ ही सफाई कार्य के लिए भवन में प्रवेश करेंगे। साथ ही सफाई कर्मियों की एक सूची विभाग को भी उपलब्ध करवानी होगी। कर्मियों की समस्त देखरेख ठेकेदार/ बोलीदाता की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा। भवन में सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति यूनीफॉर्म मय नेमप्लेट में ही प्रवेश करेंगे अन्यथा नहीं। ठेकेदार/ बोलीदाता को स्वयं के खर्च पर भवन में कार्य कर रहे कर्मियों को यूनीफॉर्म मय नेमप्लेट उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही यदि कोई कर्मि कार्य छोड़कर जाता है अथवा नया आता है तो इसकी समस्त जानकारी सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी। परिचय पत्र-कम-प्रवेश पत्र केवल योजना भवन जयपुर के लिए ही मान्य होगा अन्यत्र नहीं। इन कार्यों के लिए समस्त खर्चों का भुगतान विभाग द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त बोली से संबंधित प्रतिबन्ध एवं शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली है और उक्त सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-.....

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय/ निवास:-



सफाई व्यवस्था के अनुभव का विवरण

क्र.सं	विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्ध राजकीय / प्राइवेट	अवधि(कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हाँ / नहीं)

उदाहरणार्थ :-

विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्ध राजकीय / प्राइवेट	अवधि(कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हाँ / नहीं)
सचिवालय	राजकीय	1 वर्ष	01.01.2012से 31.12.2012	

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय / निवास:-

.....


तकनीकी बिड के वांछित दस्तावेज

क्रम संख्या	विवरण	संलग्न है / नहीं
1.	बोली / ठेकेदार / फर्म / संस्था का नाम एवं पता	
2.	टेलीफोन / मोबाईल नम्बर	
3.	पंजीकरण की तारीख एवं पंजीकरण का प्रमाण पत्र	
4.	बोलीदाता / ठेकेदार / फर्म / संस्था का विवरण (प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशिप, कम्पनी, कॉरपोरेट बॉडी)	
5.	सर्विस टैक्स नम्बर	
6.	वर्तमान में कार्य कर रहे स्टॉफ की संख्या का विवरण	
7.	ई.एस.आई एवं पी.एफ विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र	
8.	बिड प्रपत्र शुल्क रूपये 400/- की रसीद	
9.	बोली प्रतिभूति राशि रु.33000/- डीडी / जीए 55सं..... दिनांक.....	
10.	RISL प्रोसेसिंग शुल्क 500/- शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, RISL के नाम से देय होगा।	
11.	न्यूनतम मजदूरी की अण्डरटेकिंग	
12.	तीन साल का वार्षिक टर्न ओवर (आयकर रिटर्न)	
13.	आयकर पंजीकरण प्रमाणपत्र (PAN No.)	
14.	अनुभव प्रमाण पत्र	
15.	सफाई कार्य संबंधी मशीनों एवं उपकरणों की सूची	
16.	बिड से संबन्धित प्रतिबन्ध एवं शर्तें मैंने / हमने पढ़ ली है और सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे / हमें स्वीकार्य है।	

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय / निवास:-

तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत किया जाना हैं।

(फर्म के लेटर पैड पर)

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करते है कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएँ एवं विवरण पूर्णतया सत्य है। यदि कोई भी सूचना/विवरण असत्य पाया जावे, तो मेरे /हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है बिड पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त कर दिया जाये तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-.....

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय/ निवास:-



वित्तीय बिड के साथ प्रस्तुत किया जाना हैं।

प्रपत्र 'क'

वित्तीय बिड प्रस्ताव प्रफोर्मा जिसमें समस्त सफाई कार्यो (सफाई सामग्री)सहित की दरें (फर्म/संस्था के लेटर पेड पर)

(A) Man Power

S.No.	Type	No of man power .	Total Amount Per Month(Rs.)
1.	सफाईकर्मो	25	

(B) सफाई कार्य में प्रतिमाह प्रयोग में लिए जाने वाले सामान का विवरण

क्रम संख्या	सफाई कार्य के दौरान प्रयोग में लिए जाने वाले सामान का विवरण	मात्रा प्रतिमाह	राशि प्रतिमाह	वर्षभर का कुल व्यय

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-.....

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय/ निवास:-



वित्तीय बिड
“वित्तीय बिड” प्रपत्र – ख

योजना भवन की सफाई का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए

इस बिड से संबंधित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मैंने / हमने पढ़ ली है और यह प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे / हमें स्वीकार्य है तथा योजना भवन के समस्त सफाई कार्यो मय सफाई सामग्री की दरें निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं :-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	ठेके की राशि (प्रतिमाह)- (समस्त कर व अन्य चार्जेज सहित)
1.	योजना भवन की बिड शर्तो में उल्लेखित समस्त सफाई एवं अन्य संबन्धित कार्य	रूपये अंकों में रूपये शब्दों में
2	Amount of bid quoted above is inclusive of all statutory taxes, levies, charges amount for contribution towards employees PF,ESI etc and it also includes any other legal liabilities which may be in force at present or may arise in future. Nothing will be paid extra by the Directorate of Economoc & Statisties in addition to the above quoted bid amount. If deduction at source is mandatory on account of any statutory tax, levy, ccess,fee etc., it will be deducted from the monthly bill amount of the supplier by the payment authority under the Directorate of Economoc & Statisties.	

३

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम:-

पूरा पता:-

दूरभाष कार्यालय / निवास:-